न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव,
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 63/2019

1. रामचन्द्र पिता जगन्नाथ उम्र वयस्क जाति यादव निवासी नवलपुरा तहसील शाहपुरा (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 18/9/2019 उप तहसीलदार उप तहसील मनोहरपुर (शाहपुरा) अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील अन्तर्गत धारा 75 भू– राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 24.7.20

अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर उप तहसील मनोहरपुर द्वारा ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.नं. 973/0.07 हैक्टर व 974/0.04 है0 भूमि गै.मु. रास्ता में से 0.01, 0.03 है0 भूमि पर सम्वत 2076 में अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के आदेश 18/9/2019 को निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय के विरूद्व जरिये वकील अपील अपीलान्ट द्वारा सक्षम इस न्यायालय में पेश की है, जिसके बिन्दुवार तथ्य निम्नभांति पेश हैं :–

1. यह है कि पटवारी हल्का मनोहरपुर की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 18/9/2019 को निर्णय पारित किया है। ख.नं. 973 व 974 गै.मु. रास्ता की भूमि रिकॉर्ड में गलत गै.मु. रास्ता दर्ज होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है, जबकि उक्त भूमि कभी भी गै.मु. रास्ता की भूमि नहीं रही है। मौके पर उक्त भूमि के अलावा उक्त भूमि के पूर्व में 40 फिट चौडा रास्ता तथा लम्बाई भूमि के नाप के अनुसार रास्ता है किन्तु उक्त तथ्य की अनदखी करते हुए पटवारी हल्का द्वारा राजनैतिक व्यक्तियों के प्रभाव में आकर गलत रिपोर्ट पेश की है, जिसके आधार पर बिना नाप जोख किये उप तहसीलदार द्वारा गलत निर्णय पारित किया है।
2. यह है कि अपीलाधीन भूमि ग्राम पंचायत में निहित राजकीय भूमि है। इसके विरूद्व उक्त निर्णय पारित किया है जबकि उक्त भूमि अपीलार्थी के भाई व पुत्र क्रमशः बाबूलाल यादव पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 गोपाल यादव पुत्र जगन्नाथ यादव हिस्सा 1/3 फूलचन्द यादव पुत्र चन्दाराम यादव हिस्सा 1/3 जाति अहीर निवासी नवलपुरा की जरिये रजिस्टर्ड पत्र खरीदशुदा 222.75+215.47= 438.22 वर्गगज भूमि है, जिस पर अपीलार्थी के भाई व पुत्र दुकान मकान बनाकर नल व बिजली कनेक्शन प्राप्त कर व्यापार व्यवसाय व निवास करते चले आ रहे है, जिस पर ध्यान ना देकर गलत आदेश पारित किये है।
3. यह है कि अपीलार्थी की उक्त वर्णित पट्टाशुदा भूमि पंचायत की आवासीय भूमि रही है, जिसकी किस्म भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से गै मु. रास्ता दर्ज कर दी। उक्त भूमि हमेशा से आवासीय भूमि रही है जो 70 वर्ष से अधिक समय से आवास निवास के काम में आ रही है। अतः सही रूप से दुबारा भू–प्रबन्ध कराया जाकर सही रूप में भूमि की किस्म आवासीय भूमि दर्ज कराया जाना उचित है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को गलत रूप में नोटिस जारी कर अतिक्रमण मानकर निर्णय पारित किया है जबकि अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी के पुत्र व भाईयों की खरीदशुदा पट्टाशुदा भूमि रही है। कब्जाधारी मेरा पुत्र बाबूलाल व गोपाल अलग परिवार है, जिन्हें पक्षकार बनाये बिना नोटिस दिये है। उक्त निर्णय 18/9/2019 पारित किया है। इस कारण उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि तथाकथित खसरा नम्बर 973 व 974 की भूमि अपीलार्थी के पुत्र व भाई क्रय समय से पहले विक्रेता के कब्जे की भूमि पट्टाशुदा भूमि रही है। विक्रेता को कोर्ट डाईस से

Scanned with CamScanner

14/12/49 से जो 70 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व का पट्टाशुदा भूमि है, जिसके बाबत अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया है।

5. यह है कि उक्त वर्णित भूमि 973 व 974 में अपीलार्थी का पुत्र व भाई बन्धु की कब्जे की भूमि है। पटवारी हल्का ने मौके पर अपीलार्थी के भाई व पुत्र की भूमि का मौके पर बिना सीमाज्ञान कराये उक्त भूमि को शामिल करते हुए गलत रिपोर्ट पेश की है, जिसके आधार पर उप तहसीलदार मनोहरपुर ने गलत रिपोर्ट पेश की है।

6. यह है कि अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा जारी नोटिस आज दिनांक तक प्राप्त नही हुए है। अपीलार्थी की बिना तलबी कराये ही गलत रूप से सुनवायी का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याया का सिद्वान्त के विपरीत है।

7. यह है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा रिपोर्टकर्त्ता पटवारी हल्का से कोई बयान लेखबद्व नहीं कराये ना ही अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर प्रदान किया । उक्त गलत निर्णय पारित किया है वह विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन कर पारित किया है।

8. यह है कि अपीलार्थी की भूमि पर बनी दुकान में मानव जीवन रक्षक दवाईयां विक्रय कर मानव जीवन को जीने में अति सहयोग प्रदान किया जाता है। उक्त दुकान अस्पताल के ठीक सामने है, जिसमें अस्पताल की सलाह पर मरीज की आपातकालीन अवस्था में दवाईया दी जाती है। अपीलार्थी की दुकान व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया तो मानव जीवन व अपीलार्थी को अति हानी होगी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जावें। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील की सुनवायी का श्रवणाधिकार श्रीमान् को अधिकार प्राप्त है, जिसके विरूद्व अपील पेश की गयी है, जो अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा पारित आदेश 18/9/2019 को खारिज फरमावें।

9 अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी रिपोर्ट समात पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की तल्बी नियमानुसार विधि अनुरूप करायी गयी बाद तामील सूचना के रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री नरेश कुमार आत्रेय एडवोकेट उपस्थित आये।

10 वकील अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र 026 आर 9 सीपीसी का दिनांक 17/01/2020 को पेश किया, जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा दिनाक 28/02/2020 को पेश होने पर उक्त प्रार्थना–पत्र पर सुनवायी कर खारिज किया गया।

11. वकील रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जारी स्थगन आदेश 04/10/2019 की क्रियान्विति समाप्त कराने बाबत 28/02/2000 को निवेदन किया पूर्व में इस न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18/9/2019 की क्रियान्विति स्थगित किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त जारी स्थगन आदेश 04/10/2019 पर उभय पक्षों को सुना जाकर स्टे आदेश वैकेट किया गया यानि इस न्यायाालय द्वारा पारित स्थगन आदेश 04/10/2019 की क्रियान्विति समाप्त की गयी।

12. प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 24/7/2020 नियत् थी । वकील अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र शीघ्र सुनवायी का पेश कर निवेदन किया है कि प्रकरण उनवानी अर्जेन्ट नेचर एल.आर एक्ट धारा 91 की कार्यवाही के विरूद्व है। रेस्पोडेन्ट के निवेदन पर स्थगन वैकेट किया जा चुका है। उक्त कार्यवाही में प्रार्थीगण/अपीलान्ट के निर्माण को कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है, जबकि विवादास्पद भूमि पट्टे जारी किये हुए है। इसलिए दिनांक 10/7/2020 को कोर्ट कैम्प सुनवायी करने का श्रम करें। उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर उभयपक्षों को सुना गया शीघ्र सुनवायी प्रार्थना–पत्र 10/7/2020 स्वीकार किया गया तथा उभयपक्षों की अपील में फाईनल बहस सुनी गयी।

13. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का मनोहरपुर (शाहपुरा) की गलत रिपोर्ट के आधार पर आ.ख.न. 973/0.07 व 974/0.04 गै.मु. रास्ते में से 0.01 व 0.03 है0 भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18/9/2019 को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये जबकि उक्त भूमि कभी भी गै.मु. रास्ते की नहीं रही है। मौके पर उक्त भूमि के अलावा उक्त भूमि के पूर्व मे 40 फिट चौडा रास्ता तथा लम्बाई भूमि के नाप के अनुसार रास्ता है । उक्त भूमि ग्राम पंचायत में निहित राजकीय भूमि है जबकि उक्त भूमि अपीलार्थी के भाई व पुत्र क्रमशः बाबूलाल

(जयपुर)

यादव पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 गोपाल यादव पुत्र जगन्नाथ यादव हिस्सा 1/3 फूलचन्द यादव पुत्र चन्दाराम यादव हिस्सा 1/3 जाति अहीर निवासी नवलपुरा जरिये रजिस्टर्ड पत्र खरीदशुदा 222.75+215.47 = 428.22 वर्गगज भूमि है, जिस पर अपीलार्थी के भाई व पुत्र दुकान मकान बनाकर नल बिजली कनेक्शन प्राप्त कर व्यापार व्यावसाय व निवास करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित पट्टाशुदा भूमि पंचायत की आवासीय भूमि रही है। इसकी भू-प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से गै.मु. रास्ता की भूमि दर्ज कर दी। अपीलार्थी को गलत नोटिस दिया जाकर अतिक्रमण मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया है, जबकि उक्त भूमि अपीलार्थी के पुत्र व भाई की कब्जेशुदा भूमि रही है। उक्त भूमि क्रय करने से पहले विक्रेता की कब्जेशुदा भूमि पट्टाशुदा रही है। विक्रेता की कब्जेशुदा भूमि पट्टाशुदा भूमि रही है। विक्रेता को कोर्ट वाईस से 14/12/49 से जो 70 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व का पट्टाशुदा भूमि रही है। इसके बावजूद भी अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया। पटवारी हल्का ने मौके पर बिना सीमाज्ञान कराये अपीलार्थी के भाई व पुत्र की भूमि को शामिल करते हुए गलत रिपोर्ट पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना तल्बी कराये है तथा बिना सूचना के उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि का स्पष्ट उल्लघंन एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त के विपरीत है। इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जावें ।

14. पैरोकार सरकार शाहपुरा द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि पटवारी हल्का मनोहरपुर द्वारा आ. ख.नं. 973 व 974 में क्रमशः 0.01 पर दुकान, 0.03 है0 में मकान बनाकर नाजायज रूप से रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ जाति अहिर द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18/9/2019 को सरकार बनाम रामचन्द्र वगैरह में निर्णय पारित कर मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये है तथा भू-राजस्व लगान राशि का आर्थिक दण्ड के आदेश पारित किये है जो एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत् कार्यवाही की गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज फरमावें।

15 उभयपक्षों की बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्य सबूतों का अध्ययन किया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन किया तो पाया कि ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.नं. 973 व 974 क्रमशः 0.01 पर दुकान व 0.03 है0 में मकान नाजायज रूप से बनाकर मुताबिक पटवारी हल्का की रिपोर्ट से अपीलान्ट/गैर सायल का अतिक्रमण किया जाना पाया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 18/9/2019 को निर्णय पारित कर बेदखली के आदेश पारित किये है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि पटवारी हल्का द्वारा आ.ख.नं. 973 व 974 वाके ग्राम मनोहरपुर (शाहपुरा) में नाजायज अतिक्रमण बताया है। उक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट/गैर सायल को बेदखल करने के आदेश दिनांक 18/9/2019 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये है। उक्त आदेश गलत जारी किये है जबकि उक्त भूमि कभी भी गै.मु. रास्ते की नहीं रही है तथा खसरा गिरदावरी सं. 2011 में ख.न. 628 गै.मु. आबादी रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त ख.न. 628 में हाल ख.नं. 973 एवं 974 वाके ग्राम मनोहरपुर से बने हैं। मौके पर उक्त भूमि के अलावा 40 फिट चौडा रास्ता एवं लम्बाई के नाप अनुसार रास्ता है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत में राजकीय भूमि निहित है। उक्त भूमि अपीलान्ट के भाई व पुत्र क्रमशः बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 गोपाल यादव पुत्र श्री जगन्नाथ यादव हिस्सा 1/3 फूलचन्द यादव पुत्र चन्दाराम यादव हिस्सा 1/3 जाति अहिर निवासी नवलपुरा की रजिस्टर्ड पत्र खरीदशुदा पट्टाशुदा 222.75+215.47 = 438.22 वर्गगज भूमि है जिस पर अपीलार्थी के भाई व पुत्र दुकान मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे है तथा दुकान मकान के लिए बिजली व नल कनेक्शन प्राप्त किया है। उक्त भूमि को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से गै.मु. रास्ता की भूमि दर्ज कर दी। उक्त पट्टाशुदा भूमि पंचायत की आवासीय भूमि रही है। अपीलान्ट के पुत्र व भाई के कब्जेशुदा भूमि रही है। इससे पहले विक्रेता की कब्जाशुदा व पट्टाशुदा भूमि रही है। विक्रेता को कोर्ट वाईस से 14/12/49 से अधिक समय पूर्व पट्टाशुदा भूमि रही है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा बिना सीमाज्ञान कराये पटवारी हल्का से बिना जिरह किये तथा अपीलान्ट के वकील को बिना प्रतिपरीक्षा के उक्त निर्णय पारित किया है तो विधि के विपरीत एवं गैर कानूनी है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 18/9/2019 अवाप्त किया जावें। चूँकि अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार उप तहसील मनोहरपुर द्वारा ग्राम मनोहरपुर क आ.ख.न. 973/0.07 है0 व 974/0.04 है0 भूमि गै.मु. रास्ता में से क्रमशः 0.01 व 0.03 है0 भूमि पर दुकान मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण होना मानकर बेदखली के आदेश पारित किये है। पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 16/3/2007 को दयाल पुत्र ... के मुखत्यार खास श्रीमती सायर देवी द्वारा अपीलान्ट व अन्य को 222.75 वर्गगज आवासीय

भू-खण्ड का विक्रय किया जाना पाया जाता है। उक्त भू-खण्ड भूरानढाडी के नाम 15/3/49 को भू-खण्ड संख्या 371 मंजूर हुआ था, जिसका नजराना भी जमा होकर दिनांक 14/12/49 को एसिस्टेट सुपरडेन्ट हल्का पट्टा जारी होना पाया जाता है। अपीलान्ट द्वारा मकान दुकान का बिजली व नल कनेक्शन प्राप्त करने के बिल पत्रावली में संलग्न है। भूरानढाडी के वारिसान् द्वारा अपीलान्ट को भूमि विकय की है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त भूमि आबादी का भाग रही है। रेस्पोडेन्ट की ओर, से पी-14 की रिपोर्ट भी गत वर्षों की पत्रावली में शामिल नहीं हुयी है। इससे शाबित होता है सम्वत 2076 से पूर्व अपीलान्ट के विरूद्व पी-14 सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश नहीं गयी की है। यानि कि कोई पश्चातवृर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट भी पत्रावली मे उपलब्ध नहीं है। ख.नं. 973 व 974 के समीप ख.नं. 972 में करीब 100 वर्ष पुरानी धर्मशाला बनी हुयी है, जो गै.मु. आबादी रिकॉर्ड है। इसके साथ ही मौके पर आस-पास सघन आबादी क्षेत्र है। सम्वत 2011 की गिरदावरी अनुसार साबिक खसरा नम्बर 628 गै.मु. आबादी रास्ता से हाल ख.नं. 973 व 974 बनना पाया जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि आ.ख.नं. 973 व 974 आबादी का भाग रहा है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्वत् है तथा अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा धारित आदेश 18/9/2019 को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा पारित आदेश मु.नं. 06/2019 ब उनवान सरकार बनाम रामचन्द्र निर्णय दिनांक 18/9/2019 को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। इस आशय की तहरीर के साथ प्रमाणित प्रति तहसीलदार शाहपुरा को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

17 निर्णय आज दिनांक 24.7.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner